



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1339]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2011/आषाढ़ 21, 1933

No. 1339]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2011/ASADHA 21, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2011

सं. 38/2011-आयकर

का.आ. 1608(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 31 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 732(अ) में आगे संशोधन करता है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-I में,—

(i) क्रम संख्या 59 एवं 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः :—

| 1  | 2                         | 3                          | 4                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                           |
|----|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | आयकर आयुक्त,<br>गाजियाबाद | गाजियाबाद,<br>उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश<br>राज्य में,—<br>गाजियाबाद तथा<br>बुलन्दशहर<br>जिले | (क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते<br>कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो<br>कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से<br>भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा<br>कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र<br>के भीतर निवास कर रहे हैं।<br><br>(ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम<br>(6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा<br>व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके<br>कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में<br>उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है। | कालम (5) की मद<br>(क), (ख) तथा (ग) में<br>तदनुसूची प्रविष्टियों में<br>उल्लिखित व्यक्तियों के<br>सभी मामले। |

| 1   | 2                                                      | 3                                                           | 4                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                        |                                                             |                                                       | (ग) कालम (6) संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| 59क | आयकर आयुक्त<br>नया ओखला<br>औद्योगिक विकास<br>प्राधिकरण | नया ओखला<br>औद्योगिक<br>विकास<br>प्राधिकरण,<br>उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश<br>राज्य में,—<br>गौतमबुद्ध<br>जिला      | (क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ।<br><br>(ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;<br><br>(ग) कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; | कालम (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले । |
| 60  | आयकर आयुक्त,<br>मेरठ                                   | मेरठ,<br>उत्तर प्रदेश                                       | उत्तर प्रदेश<br>राज्य में,—<br>मेरठ तथा<br>बागपत जिले | (क) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय से भिन्न स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निवास कर रहे हैं ।<br><br>(ख) कंपनियों से भिन्न होने के नाते कालम (6) से संदर्भित व्यक्ति जो कारोबार अथवा व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके कारोबार का प्रधान स्थल कालम (4) में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर है ;<br><br>(ग) कालम (6) में संदर्भित व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है ; | कालम (5) की मद (क), (ख) तथा (ग) में तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले   |

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2011 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 189/2/2011-आ.क.नि.1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.1)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 की सं. का.आ. 732(अ), के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1849(अ) दिनांक 28 जुलाई, 2010 के तहत संशोधित की गई ।